मै0 उत्तराखण्ड वन विकास निगम (UKFDC) लि0 देहरादून द्वारा कोट–मोट नदी (60 हेक्टेयर) में लघु लवणों के संग्रहण के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई दिनांक 19.01.2016 (प्रातः 11.30 बजे) स्थान परियोजना स्थल, ग्राम रूद्रपुर, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून का कार्यवृत्त।

मै0 उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून द्वारा कोट–मोट के 60 हेक्टेयर में लघु लवणों के संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिये जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, अधिसूचना–2006 के अतर्गत आच्छादित है। उक्त परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आख्या, पर्यावरणीय प्रभाव अधिसूचना–1994 यथासंशोधित के अनुसार तैयार की गयी है तथा लोक सुनवाई पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2009 के अनुसार की गयी है।

जिलाधिकारी महोदय द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (प्रशा0), देहरादून श्री प्रताप सिंह शाह, की अध्यक्षता में ग्राम रूद्रपुर, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून में लोक सुनवाई आयोजित की गयी। राज्य बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में श्री सुभाष पंवार (अ0 अभियन्ता) व श्री सुनील डबराल (अनु0 सहा0) उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 11.30 बजे प्रातः लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

सर्वप्रथम उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि श्री सुभाष पंवार (अ0 अभियन्ता) द्वारा लोक सुनवाई के आयोजन के उद्देश्य के बारे में उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया और कहा गया कि उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून को मै0 उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून द्वारा कोट–मोट में लघु लवणों के संग्रहण/एकत्रण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की अधिसूचना सितम्बर–2006 यथा संशोधित के अनुसार परियोजना में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जन सुनवाई का प्राविधान है। इस हेतु लोक सुनवाई की तिथि से नियमानुसार 30 दिन पूर्व दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण व टाईम्स ऑफ इण्डिया के दिनांक 19.12.2015 के अंक में इस आशय की सूचना प्रकाशित की गयी थी। विज्ञप्ति के माध्यम से जन साधारण द्वारा इस परियोजना के कियान्वयन से पूर्व सुझाव आपत्ति, टीप टिप्पणी आपेक्ष मांगे गये थे। यदि स्थानीय लोगों की परियोजना के बारे में कोई आपत्ति या सुझाव हैं तो उनको इस लोक सुनवाई के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा, उनके द्वारा जन समुदाय से अनुरोध किया गया कि विचार, सुझाव परियोजना के पक्ष में अथवा विपक्ष में इस मंच के माध्यम से आमंत्रित हैं, जिनकी अनवरत वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी भी की जायेगी। मंच के माध्यम से आप सभी के महत्वपूर्ण विचार इस परियोजना के कियान्वयन हेतु एक निर्णायक भूमिका की अभिव्यक्ति होगी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह शाह, अपर जिलाधिकारी (प्रशा0) द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय से कहा गया कि परियोजना के सम्बन्ध में जो भी आपत्ति एवं सुझाव हैं उन्हें मौखिक या लिखित रूप में व्यक्त करें, जिनको मिनिट्स में सम्मिलित कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रेषित किया जायेगा।

इस अनुक्रम में मै0 उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून के परामर्शी संस्था के प्रतिनिधि डा0 विवेक नारायण सिंह द्वारा परियोजना से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी दी गयी एवं अवगत कराया गया कि परियोजना का कुल क्षेत्रफल 60 है0 है। जो कि ग्राम रूद्रपुर, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून में स्थित है। उक्त परियोजना पूर्णतः वन भूमि पर प्रस्तावित है। जिसे वन विभाग द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम को लीज पर दिया जाना है। परियोजना हेतु किसी प्रकार की निजी भूमि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य वोल्डर, बालू व बजरी का चुगान/खनन किया जाना है जिनका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। नदी में लघु लवणों के इकट्ठे होने की वजह से नदी अपना मार्ग बदल देती है, एवं चुगान न होने से बरसात में भूमि कटाव होता है, जिससे कि कृषि योग्य भूमि के साथ–साथ सड़कों/मार्गों को नुकसान पहुँचता है। खनन कार्य को वैज्ञानिक तरीके से किये जाने पर भूमि कटाव की रोकथाम के साथ–साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे एवं खनिज के दामों में भी कमी आयेगी। परियोजना से लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं राज्य सरकार को भी राजस्व प्राप्त होगा। उन्होनें यह भी कहा कि इस परियोजना से रोजगार को बढ़ावा दिया जायेगा। इस परियोजना में नदी के तटों से 15 प्रतिशत भाग को छोड़कर लघु लवणों का संग्रहण किया जायेगा, उनके द्वारा अपनी प्रस्तुतीकरण में यह भी बताया गया कि 1.5 मीटर गहराई तक रेत, बजरी, बालू का संग्रहण किया जायेगा और संग्रहण कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच किया जायेगा तथा संग्रहण कार्य पूर्णतया मैनुअल किया जायेगा जिसमें कोई हैवी मशीनरी का उपयोग नहीं किया जायेगा। यह परियोजना पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से की जायेगी। डा0 विवेक नारायण सिंह द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में यह भी अवगत कराया गया कि खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना (ईएमपी) बनायी गयी है, जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सड़कों पर जल छिड़काव एवं समय–समय पर वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कर तदानुसार पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना बनायी जायेगी। पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुश्रवण हेतु पर्यावरणीय सुरक्षा दल का भी गठन किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सुझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. **श्री इमरान खान, प्रधान, ग्राम–केदारवाला** द्वारा लोकसुनवाई का स्वागत किया गया तथा खनन कार्य से सहमति व्यक्त की गयी। उनके द्वारा कहा गया कि खनिज सामाग्री में स्थानीय ग्रामीणों एवं बीपी0एल0 परिवारों को छूट एवं रायल्टी का कुछ भाग ग्राम सभा को मिलना चाहिए, जिससे क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण किया जा सके एवं स्थानीय लोगों को

खनन पट्टा मिलना चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी कहा गया कि खनन कार्य से पर्यावरण पर किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे। उनके द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि खनन से प्राप्त लाभांश का कुछ भाग स्थानीय ग्राम पंचायतों को भी मिलना चाहिए।

2. **श्री रामचरण पाल, सामाजिक कार्यकर्ता, निवासी ग्राम छरबा** द्वारा लोकसुनवाई का स्वागत किया गया और कहा गया कि नदियों में खनन खुलना चाहिए। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम छरबा नदी से सटा हुआ गांव है, खनन न होने से नदी का तल ऊँचा हो गया है। यदि खनन नहीं किया गया तो बाढ़ आने से नदी का बहाव गांव की ओर हो जायेगा। उनके द्वारा कहा गया कि खनन कार्य अवैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है एवं खनन सामग्री की चोरी भी हो रही है। उनके द्वारा कहा गया कि स्थानीय लोगों को खनन हेतु रायल्टी में छूट मिलनी चाहिए। श्री रामचरण द्वारा कहा गया कि सरकारी कार्यों हेतु खनन सामग्री में पूर्व में ही रायल्टी ली जाती है। अंतः दुबारा रायल्टी न ली जाए।

3. **श्री ज्ञानचन्द, निवासी बाडूवाला** द्वारा कहा गया कि स्थानीय लोगों को अपने आवासीय भवन के निर्माण हेतु खनन सामग्री हैतु रायल्टी में छूट मिलनी चाहिए।

4. **श्री रविन्द्र सिंह, ग्राम प्रधान, होरावाला** द्वारा लोकसुनवाई का स्वागत किया गया और कहा गया कि स्थानीय लोगों को स्वयं के प्रयोग हेतु एवं घोड़े–खच्चरों से उप खनिजों को बिना शुल्क/रायल्टी ले जाने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। उनके द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि सामाजिक कार्यों हेतु उप खनिजों में छूट प्रदान की जाए एवं खनन क्षेत्र का सीमांकन भी किया जाना चाहिए।

5. **श्री बहादुर सिंह, पूर्व प्रधान, ग्राम सोरना** द्वारा लोकसुनवाई का स्वागत किया गया और कहा गया कि खनन कार्य से स्थानीय कृषिक भूमि को नुकसान होगा। कृषक भूमि को बन्दर, सुअरों द्वारा नुकसान पहुंच रहा है, इसके लिये कोई व्यवस्था होनी चाहिए। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि खनन के जो मानक तय किये गये हैं, उनका पालन किया जाए, तो खनन कार्य से सहमत हैं।

6. **श्री संजय कुमार, निवासी चांदपुर** द्वारा कहा गया वे खनन कार्य से सहमत हैं। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन कार्य निजी भूमि पर न किया जाए, वन भूमि पर ही खनन कार्य किया जाना चाहिए।

अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि समस्त खनन कार्य वन भूमि से किया जायेगा। राज्य सरकार की खनन नीति के अनुसार खनन कार्य से प्राप्त लाभांश के 5 प्रतिशत भाग को खनिज विकास निधि के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों के विकास कार्यों में व्यय किये जाने का प्राविधान है। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा खनिज सामग्री में छूट दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय निवासियों के भवन एवं सामाजिक कार्यों हेतु खनिज सामग्री में राज्य सरकार खनिज नीति में कोई

प्राविधान नहीं है। ग्रामीण एवं क्षेत्रीय प्रतिनिधि राज्य सरकार के स्तर पर खनिज सामाग्री स्वयं के उपयोग हेतु छूट के प्राविधान की मांग कर सकते हैं।

अन्त में उक्त आपत्तियों के अनुक्रम में जीएमवीएन के प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त सुझावों के अनुक्रम में अवगत कराया गया कि खनन कार्य वन भूमि पर किया जाना है, किसी निजी भूमि पर खनन कार्य नहीं किया जायेगा। प्रदूषण नियंत्रण हेतु पर्यावरणीय प्रबन्धन योजना के अनुसार कार्य किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्थानीय ग्रामीणों के विकास हेतु कारपोरेट सोशियल रिस्पोंस्बिलिटी (CSR) के अन्तर्गत खनन कार्य से प्राप्त लाभांश का कुछ भाग विभिन्न सामाजिक विकास कार्य में व्यय किये जाने का भी प्राविधान है। स्थानीय स्तर पर खनन कार्य होने से स्थानीय रोजगार उपलब्ध होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि खनन कार्य न होने के कारण नदी का वास्तविक स्वरूप बदल जायेगा और नदी जंगल एवं कृषि भूमि का कटाव करेगी इसलिये नदी का चुगान वैज्ञानिक तरीके से करना अति आवश्यक है। परियोजना के अन्तर्गत स्थानीय लोगों की सहभागिता का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि खनन वैज्ञानिक तरीके से किया जाये जिससे पर्यावरणीय क्षति न हो।

अन्त में सभा में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा हाथ खड़े कर खनन कार्य हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

तदोपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही अध्यक्ष महोदय की अनुमति के द्वारा समापन की घोषणा की गयी है। जन सुनवाई की कार्यवाही की फोटाग्राफी एवं वीडियोग्राफी की गयी है।

संलग्नक–

1. फोटो – 03
2. डी0वी0डी0 – 03
3. उपस्थिति पंजिका – 03

19/01/2016
(सुनील डंबराल)
अनु0 सहा0

19/1/16
(सुभाष पंवार)
अ0 अभियन्ता

19.1.16
(प्रताप सिंह शाह)
अपर जिलाधिकारी (प्रशा0)
देहरादून

DATE 19 01 2016

चौहड़पुर वन श्रेणी, ग्राम - रुद्रपुर, तहसील - विकासनगर, जिला - देहरादून में [illegible] नदी तल (60 हे०) से रेत, बजरी, बोल्डर (उप खनिजों) के खनन / चुगान हेतु दिनांक 19/01/2016 (पूर्वाह्न 11:30 बजे) वन चौकी, कुल्हाल वाला परिसर, चौहड़पुर रेंज ग्राम - रुद्रपुर जिला देहरादून में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई में उपस्थित मा० जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति पत्रक

क्रम सं०	नाम व पद	पता	सम्पर्क सूत्र	हस्ताक्षर
1)	श्री० पूरण सिंह शाह (Adm. ~~ADM~~) (प्रशासन)	जिला प्रशासन देहरादून	9756665555	[signature]
2)	श्री० मुकेश कुमार उ०नि०प० (खनन)	खनन प्रभाग दे०दून	9568003225	[signature]
3)	श्री० शेर सिंह D.L.O	खनन प्रभाग दे०दून	9568003207	[signature]
4)	श्री० रघुनाथ पंवार (J.E)	उ० पर्या० संर० एवं प्रदूषण नि० बोर्ड देहरादून	9410393545	[signature]
5)	श्री० सुनील डबराल (M.A)	उ० पर्या० संरक्षण प्रदूषण नि० बोर्ड	9634837820	[signature]
6)	ज्ञानचन्द प्रधान प्रतिनिधि	[illegible]	9758562133	[signature]
(8)	[illegible] प्रधान	कुल्हालवाला	9897364761	[signature]
(9)	हरीसिंह	रुद्रपुर	9045563050	[signature]
10	नरेशचन्द [illegible]	चांदपुर	8534216592	[signature]
11	रामलाल सिंह प्रधान प्रतिनिधि	ग्राम पंचायत [illegible]	9719078357	[signature]
12	ज्ञानचन्द	[illegible]	9191099408	[signature]
13	महावीर सिंह रावत वन क्षेत्राधिकारी चौहड़पुर रेंज	चौहड़पुर रेंज वन विभाग	9837241876	M.S. [signature]

classmate PAGE

	नाम व पद	पता	संपर्क सूत्र	हस्ताक्षर
14	सोकत	सोकत	9458905311	सोकत
15	राजेन्द्र सिंह	रुद्रपुर	9410532908	[illegible]
16	नरेश कुमार	पनौली कांधा	9411755547	[illegible]
17	कर्मवीर	मझौन ग्राम	9411548661	[illegible]
18	[illegible]	देवरान	9055216358	[illegible]
19	[illegible]	रुद्रपुर	7579286796	[illegible]
20	सोहनसिंह चौहान	रुद्रपुर	7579082158	[illegible]
21	वेदपाल सिंह	रुद्रपुर	9897964220	[illegible]
22	प्रेमसिंह रावत	केदारवाला	9412918421	P S Rawat
23	आशीष तिवारी	पटरा	7579028866	आशीष तिवारी
24	मनजीत सिंह	जाखन	9410710474	[illegible]
25	देवेन्द्र सिंह	देवथला रुद्रपुर	9456355558	[illegible]
26	अनिल चौहान	रुद्रपुर	9456115482	अनिल
27	नागेन्द्र			
28	राजेन्द्र	देवथला		
29	विजय कुमार	[illegible]	9927170464	[illegible]
30	गुलफाम	चोदाराताल		
31	अमन चौहान	रुद्रपुर	9568982039	[illegible]
32	सुरेश चौहान	रुद्रपुर	9557629177	[illegible]
33	सुरेन्द्र दत्त शर्मा	रुद्रपुर	9759730514	[illegible]
34	रघुवीर सिंह तोमर	रुद्रपुर	7351068472	[illegible]
35	योगेन्द्र [illegible]	रुद्रपुर	—	[illegible]
36	[illegible]	रुद्रपुर	—	[illegible]
37	Dr Vivek N. Singh	Mantec, New Delhi	8882473339	V.N. Singh
38	कपूर [illegible]	[illegible]	9720585484	[illegible]